दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा प्रदत्त करने वाले विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन

शिक्षा शास्त्र विषय में

पी–एच0डी0 की

उपाधि हेतु

आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय, मेरठ

को प्रस्तुत

शोध–प्रारूप

IIMT UNIVERSITY
MEERUT

शोध पर्यवेक्षक

डॉ० संजीव कुमार
आचार्य, कॉलिज ऑफ ऐजूकेशन,
आई.आईएम.टी.विश्वविद्यालय मेरठ

शोधार्थिनी

मंजुला मलिक
नामांकन संख्याः IIMTU/1971261

–शोध स्थल–

कॉलिज ऑफ ऐजूकेशन,

आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय मेरठ

विषय अनुक्रमणिका

क्र.स.	शीर्षक	पृ. संख्या
1.	प्रस्तावना	3
2.	शब्दावली में परिवर्तन	4
3.	दिव्यांगता के प्रकार	4
4.	एकीकृत एवं विशिष्ट शिक्षा	5
5.	समावेशित शिक्षा	6
6.	दिव्यांग बालकों के लिए समेकित शिक्षा की योजना	7
7.	स्रोत	7
8.	सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन	7
9.	शोध समस्या का औचित्य	9
10.	शोध समस्या का शीर्षक	9
11.	शोध के उद्देश्य	10
12.	शोध अवधारणाएँ	10
13.	अनुसंधान की प्रविधि	14
14.	शोध जनसंख्या	14
15.	न्यादर्श	14
16.	शोध उपकरण	15
17.	समंक संग्रहण	15
18.	सांख्यिकी प्रविधि	15
19.	शोध कार्य का प्रबन्ध लेखन	16
20.	सन्दर्भ	17

1. प्रस्तावना

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका उपयोग मनुष्य माहौल से सामंजस्य बैठाने में करता है। सृष्टि के प्रारम्भ में मनुष्य का भूमि पर अवतरण हुआ होगा, उसे भी सीखने की जरूरत का ज्ञान हुआ होगा। उसने अपने चारों ओर के माहौल से सांमजस्य बैठाया होगा, तभी से सीखने का तथा सिखाने का प्रारम्भ हुआ होगा, जब प्रथम मनुष्य संसार में पैदा हुआ तब उसे स्वयं की बुभुक्षा (भूख) और पिपासा शांत हेतु भोजन और पानी की जरूरत प्रतीत हुई। वह इन सभी को खोजने में त्रुटि एवं प्रयास करता रहा। खुद के प्रयत्न में वह अपनी बुद्धि का भी उपयोग निरंतर करता रहा। आधुनिक समय में ये सभी कार्य शिक्षा के अधीन सम्मिलित किये जा सकते है, अतः शिक्षा सभी प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा जनसामान्य के आधुनिकीकरण एवं कुशल जीवन का आधार है, अर्थात् शिक्षा ऐसा अनुपम सशक्त साधन है, जोकि व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का बहुमुखी विकास करने में सक्षम है। मनुष्य परम पिता परमात्मा की सर्वोत्तम संरचना है। मनुष्य तन की तुलना में उसके बुद्धि और आत्मा में ज्यादा शक्ति है, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा का ही अंश हैं और जो परमानंद है।

यदि इसे आध्यात्मिक दर्शन से देखा जाये तो दिमाग मनुष्य की चेतन शक्तियों के माध्यम से ही संचालित और निर्देशित होता है, लेकिन यदि शोधत्मक रूप से अवलोकन करें तो यह वह शक्ति है जो किसी भी जीव को अपने अधीन ले सकती है, अतएव प्रमाणिक है कि मस्तिष्क की शक्ति शरीर से कई गुणा ज्यादा है, फिर किसी शारीरिक दुर्बलता या कमजोरी को हम अपनी शक्तिहीनता क्यों मानें, इतिहास में ऐसे हजारों प्रसंग प्राप्त हो जायेंगे जिनमें मस्तिष्क की श्रेष्ठता सिद्ध हुई है जैसे इस्लामिक काल में यौद्धा तैमूर जो

अपनी वाम टांग से अपाहिज था लेकिन जिसने हिमालय के पश्चिम–दक्षिण क्षेत्र के अनेक प्रसिद्ध शासकों को हरा दिया था। महाकवि सूरदास, अष्टावक्र, एकलव्य जैसे अनेक उदाहरण हमारी संस्कृति और सभ्यता के भूतकाल में मौजूद हैं। गांधी जी ने इन्हें ही व्यक्त किया था कि–''भौतिक दुर्बलता वास्तविक दुर्बलता नहीं है अपितु मानसिक दुर्बलता ही वास्तविक दुर्बलता है। दिव्यांग लोगों की अन्तः शक्तियां उतना अधिक प्रबल होती हैं कि वे बौद्धिक और कार्यक्षमता की दृष्टि से एक सामान्य मनुष्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते है, यदि इन्हें माध्यम उपलब्ध करा दियें जायें तथा समाज का समर्थन प्राप्त हो जाए तो ये समाज पर बोझ नहीं अपितु सार्थक प्रमाणित होंगे।''[1]

2. शब्दावली में परिवर्तन

विगत दशकों में दिव्यांगता से संबंधित शब्दावलियों में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जैसे– अंध मानव को दृष्टिहीन या अंधा न कहकर दृष्टि असमर्थ या दृष्टिबाधित कहा जाने लगा है। इसी प्रकार बहरे व्यक्ति को श्रवण बाधित व अस्थि विकलांगता वाले व्यक्ति को गत्यात्मक असमर्थ कहा जाता है। अल्प–बुद्धि, महामूर्ख तथा जड़बुद्धि जैसे वचन अब प्रचलन में नहीं है। अब मंद, मध्यम, गम्भीर या अति गम्भीर मानसिक पिछड़े जैसे शब्द उपयोग में लाये जाते हैं। शैक्षणिक उद्देश्य हेतु मानसिक पिछड़े बालकों को शिक्षा अयोग्य, प्रशिक्षण अयोग्य व गम्भीर कहे जाते है। प्रत्येक वर्ग की एक विलक्षणता है।

दिसम्बर–4, 2004 में भारत की संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि दिव्यांगों को 'निःशक्त जन' बोला जाए।

3. दिव्यांगता के प्रकार

दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995[2] के अन्तर्गत सात प्रकार की दिव्यांगता

सम्मिलित है जो निम्न प्रकार है –

1. दृष्टिबाधिता या अंधत्व
2. अपर्याप्त दृष्टि
3. अस्थि या गत्यात्मक दिव्यांगता
4. श्रवणबाधिता
5. मानसिक रूगण्ता
6. मति मंदता
7. कुष्ठरोग युक्त दिव्यांगता

इस प्रकार के बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा प्रणाली की जरूरत है।

4. एकीकृत एवं विशिष्ट शिक्षा

एकीकृत शिक्षा से मतलब है कि दिव्यांग बालकों को साधारण बालकों के स्कूलों में सामान्य बालको के साथ ही पढ़ाना है जिससे वे साधारण स्कूल के बालकों की भाँति विकसित हो सके। एकीकृत शिक्षा सहयोगी शिक्षा है जो अपंग बालकों को सामान्य स्कूल सेटअप के साथ शिक्षा के सर्व व्यापीकरण के उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से दी जाती है।

बीसवीं शताब्दी के अंतिम 2–3 दशकों में दिव्यांग बालकों हेतु समेकित शिक्षा प्रत्यय का उदय हुआ। स्पेन के सालामान्सा में सन् 1964 में युनेस्को द्वारा प्रायोजित सम्मेलन में समस्त राष्ट्रों से केवल समावेशित शिक्षा की व्यवस्था को अपनाने की पुरजोर संस्तुति की।[3] भारत में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, पूर्ण भागीदारी तथा अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1995 में

भी यह उल्लिखित है कि दिव्यांग बालकों को सर्वदा अनुकूल माहौल में रखा जाना चाहिए।

इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि यदि किसी दिव्यांगता से युक्त बालकों को किसी अन्य अनुपयुक्त माहौल में रखा जाता है तो उसके समक्ष अन्य प्रकार के विकल्प भी उपलब्ध होने चाहिए। यह कार्य अब भारत में शुरू हो गया है जैसे कि वर्ष 1947 के बाद से विशिष्ट विद्यालयों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है।

5. समावेशित शिक्षा

ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो समावेशित समाज के सृजन के अंतिम बिंदु को प्राप्त करने का सशक्त प्रारूप है, इसमें वे सभी बालक व प्रौढ़ योगदान दें चाहें उनकी कोई भी उम्र हो, कोई भी लिंग हो, कोई क्षमता या दिव्यांगता या कोई जाति या संप्रदाय हो, समावेशित शिक्षा में सभी प्रकार के बालक एक साथ रहकर सीखते हैं, यह जरूरी नहीं है कि वे सभी एक ही तथ्य सीख रहे हों, समावेशित शिक्षा सभी बालकों में अन्तर, मूल्य तथा सम्मान की पहचान करती है। सभी बालक कभी–कभी सीखने में मुश्किल का अनुभव करते हैं अतएव उनकी सीखने की इस परेशानी में सहयोग करने की जरूरत होती है।

समावेशित शिक्षा दिव्यांगता वाले बालकों को शिक्षा प्रक्रिया में आने को प्रोत्साहित ही नहीं करती अपितु उसके अन्दर अनेक सामाजिक परिवर्तन व नीतियों का समावेश भी करती है। जिससे सभी बालकों को शिक्षा की सुविधा मिल सके और इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति को उसी समाज में संलग्न रहने हेतु तैयार करती है तथा उनकी पूरी क्षमता को भी उभारती है।

6. दिव्यांग बालकों के लिए समावेशित शिक्षा की योजना

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में दिव्यांगों की संख्या लगभग 1 करोड़, 20 लाख है जिनमें से 04 वर्ष आयु तक वर्ग के 14 लाख, 4–15 आयु वर्ग के 43 लाख बालक हैं। वर्तमान में आठ सौ से एक हजार विशिष्ट विद्यालयों में इन बालकों का मात्र पांच प्रतिशत ही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। मात्रात्मक दृष्टि के अतिरिक्त इन बालकों की शिक्षा के गुणात्मक पक्ष में भी सुधार की आवश्यता है।

7. स्रोत

शिक्षा का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है एवे जो भी जानकारियां वे विभिन्न तर्कों पर आधारित हैं इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विभिन्न विषयों को चुना जाएगा। जनसांख्यिकी को निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा दर्शाया जाएगा–

1. भारत में दिव्यांगता का प्रकार तथा प्रतिशत सन् 2001
2. उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता का प्रकार तथा प्रतिशत सन् 2001
3. भारत में कुल दिव्यांग लिंग व आवास के आधार पर सन् 2011
4. भारत में दिव्यांगता का प्रकार सन् 2011
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु प्रावधान
6. राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु प्रावधान

8. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

रविन्द्रन और राजू (2008)[4] ने शोध अध्ययन मानसिक मंद बालकों के माता पिता की समायोजनशीलता तथा मनोभावों का अध्ययन में निष्कर्ष प्राप्त किया

कि धर्म, आय एवं शिक्षा के समायोजनशीलता चर में सार्थक सम्बंध पाया जाता है।

कुमारी गायत्री, (2014)[5] शोधार्थी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, ने अपने शोध कार्य "भारत विशिष्ट बालकः उनकी विशिष्ट समस्यायें और पुनर्वास कार्यक्रम में निष्कर्ष निकाला कि विशेष बालकों के लिए शिक्षा का आयोजन इनकी कमियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। प्रायः शारीरिक रूप से कमजोर बालक मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं में अग्रणी प्रदर्शन करते हैं। जबकि समाज उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण मानसिक रूप से भी कमजोर मान लेता है। अतः आवश्यकता है कि इनको मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि शारीरिक अक्षमता इनके मनोविज्ञान को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। साथ ही इनके लिए किए जाने वाले विभिन्न लाभकारी प्रावधानों का लाभ इन्हें मिले इस दिशा में सकारात्मक प्रयास परिवार, समाज और सरकार सभी को मिलकर करने की आवश्यकता है। तभी इन वंचितों के जीवन में खुशियों के फूल खिल सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) (2019)[6] ने भारत में विकलांग बच्चों की शिक्षा स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट '2019 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडियाः चिल्ड्रन्स विद डिसेबिलिटी' जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारत में समावेशी शिक्षा यानी सभी के लिए समान अवसरों वाली शिक्षा प्रणाली को लागू करना जटिल कार्य है और विभिन्न संदर्भों में बच्चों और उनके परिवारों की विविध आवश्यकताओं की एक अच्छी समझ विकसित करने की आवश्यकता है।

रौतेला, गिरिजा (2019)[7] ने कुमाऊँ मण्डल में "दिव्यांग बालकों के विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित गतिविधियों के क्रियान्वयन का अध्ययन" नामक शोध में पाया कि संस्थानों में शिक्षक केन्द्रित क्रियाओं में अधिक निवेशों का प्रयोग होता है। अधिगमकर्ता सहभागिता से संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक तीनों पक्षों में क्रियाऐं कराई जाती हैं। समूह सहभागी गतिविधियों का क्रियान्वयन मुख्यतः मानसिक विकलांग व बहुविकलांग बच्चों के लिए अधिक किये जाते हैं। संस्थानों में गतिविधियों के क्रियान्वयन में विविधता पाई गई जो कि बच्चों की विकलांगता के आधार पर सार्थक है चूंकि विकलांग बच्चों की गतिविधियों का क्रियान्वयन उसकी विकलांगता को ध्यान में रखकर कराया जाता है जो कि विकलांग बच्चों हेतु पर्याप्त है।

9. शोध समस्या चयन का औचित्य

भारत ही नहीं अपितु विश्व—भर में दिव्यांग बालकों की शिक्षा पर असंख्य शोध कार्य किये जा चुके हैं। लेकिन शोधार्थिनी ने अनेक शोध अध्ययन करने के उपरान्त पाया कि दिव्यांग बालकों को शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की व्यवस्था पर बहुत ही कम जबकि भारत में बहुत कम शोध कार्य हुए हैं। जबकि दिव्यांग बालकों को शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की व्यवस्था दिव्यांग बालकों के उद्वीरकरण व समाज में उनकी सहभागिता को सुदृढ़ बनाती है। अतः शोधार्थिनी इस गम्भीर व नवीन समस्या को अपने शोध के लिये चयनित किया है।

10.शोध समस्या का शीर्षक

''दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा प्रदत्त करने वाले विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन''।

11. शोध के उद्देश्य

1. दिव्यांग बालकों का विशेष शिक्षा में प्रवेश, निरंतरता, अनिरंतरता एवं शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों का अध्ययन करना।

2. प्राथमिक स्तर पर दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा प्रदत्त करने के लिये सरकारी योजना एवं नीतियों के कार्यान्वयन के संदर्भ में दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा प्रदत्त करने विद्यालयों का अध्ययन करना।

3. सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा स्तर पर विशेष शिक्षा हेतु दिये गये सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष शिक्षा प्रदत्त करने वाले विद्यालयों की स्थापना तथा उनमें शिक्षकों की नियुक्ति एवं सुविधाओं के संदर्भ में दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा प्रदत्त करने वाले विद्यालयों का अध्ययन करना।

4. शिक्षक, अभिभावक, छात्र एवं विद्यालय प्रशासन की प्राथमिक स्तर पर विशेष शिक्षा हेतु प्रतिक्रिया के संदर्भ में दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा प्रदत्त करने वाले विद्यालयों का अध्ययन करना।

11. शोध अवधारणाएँ

अध्ययन के प्राप्य उद्देश्यों के क्रम में शोधार्थिनी ने घोषणात्मक परिकल्पना का प्रयोग किया है जोकि निम्नवत् हैंः—

1. दिव्यांग बालकों की प्रवेश के समय आयु की निश्चिता के सन्दर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

2. दिव्यांग बालकों के प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता के प्रावधान के सन्दर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

3. प्रवेश के समय दिव्यांग बालकों के समय दिव्यांग बालकों के चिकित्सकीय परीक्षण के सन्दर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

4. दिव्यांग बालकों के प्रवेश के समय बालकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

5. दिव्यांग बालकों के प्रवेश के समय उनके साथ सामान्य बच्चों की भांति व्यवहार किये जाने पर संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

6. **दिव्यांग** बालकों के पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

7. **दिव्यांग** बालकों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों के मतों में भिन्नता है।

8. **दिव्यांग** बालकों की शिक्षा हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की पूर्णता के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

9. **दिव्यांग** बालकों की शिक्षा के लिये बनाई गई सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की पूर्ण जानकारी के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

10. **दिव्यांग** बालकों की शिक्षा सें संबन्धित सरकार द्वारा प्रदत्त, सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठाने के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

11. **दिव्यांग** बालकों की शिक्षा हेतु स्थापित विशिष्ट विद्यालयों की संख्या के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

12. **सरकार** के अतिरिक्त दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिये समाज द्वारा विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

13. **दिव्यांग** बालकों की शिक्षा के लिये विद्यालयों की स्थापना से संबंधित सरकारी नियमों के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

14. **विशिष्ट** विद्यालयों में नियमित विशिष्ट अध्यापकों की संख्या के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

15. **विशिष्ट** विद्यालयों में शिक्षकों की योग्यताओं के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

16. **विशिष्ट** विद्यालयों में पर्याप्त सहायक कर्मचारियों के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

17. **विशिष्ट** विद्यालयों में दिव्यांग बालकों के विशेष प्रशिक्षण के लिये कार्यशाला के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

18. **विशिष्ट** विद्यालयों में पुस्तकों की संख्या एवं पुस्तकालय सुविधा के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

19. **विशिष्ट** विद्यालयों में दिव्यांग बालकों के विशेष प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों

के मतों में भिन्नता है।

20. **विशिष्ट** विद्यालयों में कक्षाओं में पर्याप्त स्थान के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

21. **विशिष्ट** विद्यालयों में दिव्यांग बालकों के लिये पर्याप्त परामर्श एवं मार्गदर्शन की सुविधा के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

22. **विशिष्ट** विद्यालयों में दिव्यांग बालकों की देख–रेख की सुविधाओं के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

23. **विशिष्ट** विद्यालयों में दिव्यांग बालकों के लिये छात्रवृत्ति की सुविधा के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

24. **विशिष्ट** विद्यालयों में दिव्यांग बालकों के लिये छात्रावास की सुविधा के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

25. **विशिष्ट** विद्यालयों में विशेष पाठ्यक्रम के लिये तकनीकी प्रशिक्षण की उपलब्धता के संबंध में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

26. **विशिष्ट** विद्यालयों में दिव्यांग बालकों को विशेष शिक्षा के साथ रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदत्त करने के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

27. **विशिष्ट** विद्यालयों में शौचालयों एवं पीने के पानी की व्यवस्था के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

28. **विशिष्ट** विद्यालयों में विद्युत उपकरणों तथा खेल मैदान की उपलब्धता के संदर्भ में

संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

29. सरकार द्वारा चलाये जा रहे विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम को उचित मानने के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

30. **सरकार** द्वारा दिव्यांग बालकों को प्रदत्त सुविधाओं से मिलने वाले लाभ की सन्तुष्टि के संदर्भ में संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों के मतों में भिन्नता है।

12. अनुसंधान की प्रविधि

चयनित समस्या पर शोध कार्य हेतु शोधर्थिनी ने वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना को चुना है। जिसमें सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जायेगा।

13. शोध जनसंख्या

उत्तर प्रदेश राज्य के चार प्रमुख शहर जहां प्राथमिक स्तर पर विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश एक दिव्यांग बालकों का बाहुल्य राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो प्रमुख चार शहरों में दिव्यांग बालकों के अधिक प्राथमिक स्कूल उपलब्ध है वह लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ एवं कानपुर है। अतः इन चारों महाजनपदों में स्थित दिव्यांग शिक्षा संस्थान व सामान्य विद्यालय शोध की जनसंख्या है। परन्तु शोधार्थिनी द्वारा सीमित संसाधनों को घ्यान में रखते हुए अध्ययन हेतु शोध जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ मण्डल का चयन उद्देश्यपरक् विधि से किया जायेगा।

14. न्यादर्श

शोध की व्यापकता को ध्यान में रखते हुये मेरठ मण्डल के सभी छः

जनपदों में से दो जनपदों मेरठ तथा हापुड़ में संचालित विशिष्ट विद्यालयों की सूची बनाकर उनमें 11 विद्यालयें का चयन कर प्रत्येक विद्यालय से मुख्य अध्यापकों (संस्था प्रमुखों), शिक्षकों, बालकों तथा बालकों के अभिभावकों का चयन भी यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत क्रम सूची के आधार पर किया जायेगा।

न्यादर्श चयन की प्रस्तावित रूपरेखा निम्नवत है—

विशिष्ट विद्यालयों की संख्या	—	11
संस्था प्रमुख	—	10
शिक्षक	—	50
छात्र	—	175
अभिभावक	—	165

इस प्रकार कुल 400 न्यादर्श पर शोध सर्वेक्षण किया जायेगा।

15. शोध उपकरण

आंकड़ों के चयन हेतु शोध पर्यवेक्षक की सहायता से स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया जायेगा।जिसे शोधार्थिनी स्वयं प्रयोज्यों से मिलकर सत्य व सटीक आंकड़ों का चयन करने का प्रयास करेगी।

16. संमक संग्रहण

प्रयोज्यों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर एक डाटा शीट तैयार कर आंकड़ों को सुव्यवस्थित क्रम में स्थापित किया जायेगा।

17. सांख्यिकी प्रविधि

परिकल्पनाओं के सत्यापन हेतु समंक (आंकड़ों) के विश्लेषण हेतु उचित

सामान्य सांख्यिकी तकनीक के रूप में **प्रतिशत** अथवा उचित सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया जायेगा।

18. शोध कार्य का प्रबन्ध लेखन

शोध कार्य के नियमित व सुदृढ़ लेखन हेतु प्रबन्ध लेखन निम्न अध्यायों के अन्तर्गत करने का निश्चय किया गया है–

प्रथम अध्याय – प्रस्तावना

द्वितीय अध्याय – संबंधित साहित्य का अवलोकन

तृतीय अध्याय – शोध प्ररचना तथा सांख्यिकी प्रविधियां

चतुर्थ अध्याय – समंक विश्लेषण तथा परिकल्पनाओं का सत्यापन

पंचम अध्याय – परिणाम व निष्कर्ष

षष्ठम् अध्याय – भावी अनुसंधान हेतु सुझाव

सन्दर्भ सूची

1 सक्सेना, एस. (2003), ''शिक्षा के सिद्धांत'', मेरठ, सूर्या प्रकाशन पृ.39।

2 PWD ACT 1995, Govt. of India Gazatee.

3 Centre for Studies on Inclusive Education. https://www.google.com/search?q=salamanca +conference+on+inclusive+education &sca_esv=e85bf51f2ebe9d69&biw=1366&bih = 641& sxsrf=

4 रविन्द्रन और राजू (2008). मानसिक मंद बालकों के माता पिता की समायोजनशीलता तथा मनोभावों का अध्ययन. Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education Vol. 21, Issue No. 7, October-2024, ISSN 2230-7540

5 कुमारी गायत्री, (2014). भारत विशिष्ट बालकः उनकी विशिष्ट समस्यायें और पुनर्वास कार्यक्रम.https: //www.allresearchjournal.com/archives/2015/vol1issue2/PartC/6-11-41-301.pdf

6 संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) (2019). स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडियाः चिल्ड्रन्स विद डिसेबिलिटी. https://news.un.org/hi/story/2019/07/1014632, 03 July 2019, New Delhi.

7 रौतेला, गिरिजा (2019)."दिव्यांग बालकों के विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित गतिविधियों के क्रियान्वयन का अध्ययन".https://www.jetir.org/papers/JETIR1901C24.pdf